

378



विल पी-५० 3598/

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: 12017 निगरानी
III) निगरानी/विल/शु.स/2017/3398

अरविन्द दुबे पुत्र श्री लज्जाराम दुबे निवासी ग्राम
बरहद, तैहसील मैहगांव जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश।

विल

----- प्रार्थी

विरुद्ध

- १- रामकुमार पुत्र रामबाबू दुबे,
- २- श्रीमती राधादेवी पत्नी जगलकिशोर दुबे,
- ३- कौशल किशोर | पुत्राण जगलकिशोर
- ४- विजयकुमार |
- ५- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामबाबू दुबे
- ६- पवन | पुत्राण वृजमीहन
- ७- शिवकुमार |
- ८- गौरव |

समस्त निवासीगण ग्राम बरहद, तैहसील मैहगांव
जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश।

----- प्रतिप्रार्थीभाण

निगरानी विरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय मैहगांव दिनांकी १४-०६-१७,
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६। प्र० ३१।१६-१७-अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थनापत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है।
- ३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही

श्री. एच. के. कवर्कर जी
द्वारा आज दि. ००-९-१७ को
प्रस्तुत

Fee
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2537081
201496

GF 28-09-17


3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3398

अरबिन्द विरूद्ध रामकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मैहगांव जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 20-05-2019 को कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p> (अ.र.के. जे.न.) सर्वसम 20/3/19</p>